



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 माघ, 1942 (श०)

संख्या- 63 राँची, सोमवार,

25 जनवरी, 2021 (ई०)

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

22 जनवरी, 2021

संख्या-06/वन निगम-07/2019- 215--बिहार केन्दु पत्ती (व्यापार नियंत्रण) अधिनियम, 1973 (झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत) की धारा-7' के अधीन राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मौसम वर्ष-2020 में केन्दु पत्ती संग्रहण के लिए उक्त अधिनियम की धारा-3' के अधीन अधिसूचित विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में विभिन्न इकाई के लिए केन्दु पत्ती प्रति मानक बोरा के लिए संग्रहण दर की अनुशंसा संबंधित प्रमंडलीय समिति द्वारा निम्न प्रकार किया गया था:-

- | | |
|---|--|
| (क) वनभूमि/सरकारी भूमि से प्राप्त होने वाले केन्दु पत्ती के लिए | - 1250 (एक हजार दो सौ पचास)रु० प्रति मानक बोरा |
| (ख) रैयती भूमि से प्राप्त होनेवाले केन्दु पत्ती के लिए | - 1250 (एक हजार दो सौ पचास)रु० प्रति मानक बोरा |
| (ग) सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा में वनभूमि/सरकारी भूमि तथा रैयती भूमि से प्राप्त होने वाले केन्दु पत्ती के लिए | - 1500 (एक हजार पाँच सौ) रु० प्रति मानक बोरा |

- (2) उक्त के क्रम में प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, राँची द्वारा पत्रांक-2042 दिनांक-21.12.2020 द्वारा रू. 1250/-मानक बोरा दर निर्धारण की अनुशंसा वर्ष 2021 के लिए किया था।
- (3) उक्त के क्रम में दर रू. 1250/- (बारह सौ पचास) प्रति मानक बोरा निर्धारित किया जाता है।
- (3) यह दर 30 जून 2021 तक प्रभावी रहेगा।
- (5) प्राथमिक संग्रहणकर्ताओंको उक्त संग्रहण दर पर भुगतान “झारखण्ड राज्य केन्दु पत्ता नीति, 2015” में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा।
- (6) उक्त पर मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

देव कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव
